"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2015—आषाढ़ 12, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2015

क्रमांक एफ 7-14/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. सी. रहटगांवकर, प्रबंधक (वानिकी), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर को दिनांक 05-05-2015 से 23-05-2015 तक कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रहटगांवकर, प्रबंधक (वानिकी), छ.ग. राज्य वन विकास निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री रहटगांवकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रहटगांवकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2015

क्रमांक-एफ-1-4/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अमित तुकाराम कांबले, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद को दिनांक 22-06-2015 से 06-07-2015 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 20-06-2015 एवं 21-06-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कांबले आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कांबले को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कांबले, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री कांबले की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद के पद का प्रभार श्री मनीष शर्मा, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, धमतरी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 340/1113/अव./2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 28-05-2015 से 03-06-2015 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 342/206/अव./2003/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 03-06-2015 से 12-06-2015 तक 10 दिवस का (दिनांक 02, 13, 14-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अमृत लाल लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 344/722/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 05-05-2015 से 08-05-2015 तक 04 दिवस का (दिनांक 03, 04, 09, 10-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 346/651/अव./2010/1-8/स्था.—श्री भगवान सिंह कुशवाहा, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-05-2015 से 21-05-2015 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगवान सिंह कुशवाहा आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भगवान सिंह कुशवाहा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगवान सिंह कुशवाहा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2015

क्रमांक 348/579/अव./2015/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 27-05-2015 से 06-06-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 07-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रशांत लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2015

क्रमांक 364/444/2014/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 225-226/444/अव./2014/1-8/स्था, दिनांक 21-04-2015 द्वारा श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को पूर्व में दिनांक 20-04-2015 से 30-04-2015 तक 11 दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 01-05-2015 से 02-05-2015 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 21-04-2015 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक 374/670/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-05-2015 से 23-05-2015 तक 04 दिवस का (दिनांक 24-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक 376/53/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 04-06-2015 से 12-06-2015 तक 09 दिवस का (दिनांक 13, 14-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2015

क्रमांक 1142/1669/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 261-262/1669/2013/1-8/स्था, दिनांक 08-05-2015 द्वारा श्री आर. के. टंडन, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 25-05-2015 से 12-06-2015 तक 19 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक 378/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 08-06-2015 से 19-06-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 07, 20, 21-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 जून 2015

क्रमांक 392/329/अव./2013/1-8/स्था.—श्री हरीश कुमार उइके, स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 18-05-2015 से 30-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 16, 17, 31-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कुमार उइके आगामी आदेश तक स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री हरीश कुमार उइके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरीश कुमार उइके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2015

क्रमांक 408/1669/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. के. टंडन, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 02-07-2015 से 07-07-2015 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टंडन आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. के. टंडन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टंडन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2015

क्रमांक 416/742/अव./2015/1-8/स्था.—श्री राजीव अहिरे, स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 22-06-2015 से 27-06-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 20, 21, 28-06-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजीव अहिरे आगामी आदेश तक स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजीव अहिरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव अहिरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक 5532/1285/21-ब/छ.ग./15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रणजीत कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील-बीजापुर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, का नाम उनके अनुरोध के आधार पर नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के प्रावधान के अनुरूप नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2015

क्रमांक एफ 2-41/2012/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

1. अनुसूची-एक में "मैदानी संगठन की स्थापना के प्रवर्ग एक (संभाग/राज्य स्तरीय)" के अन्तर्गत सरल क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2क.	सहायक ग्रेड-1	2	तदैव	5200-20200+2800 ग्रेडवेतन"	

2. अनुसूची-दो में "मैदानी संगठन की स्थापना के प्रवर्ग एक (संभाग/राज्य स्तरीय)" के अन्तर्गत सरल क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2क.	सहायक ग्रेड-1	2	—	100%	—"	

No. 2-41/2012/IX/55-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) Class-III Ministerial and Non Ministerial Services Recruitment Rules, 1987, namely ;—

AMENDMENTS

In Schedule of the said rules :—

1. After serial number 2 under "Category-I (Divisional/State Level) of Establishment of Field Organisation" of Schedule-I, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2A.	Assistant Grade-I	2	do	5200-20200+2800 Grade Pay"	

2. After serial number 2 under "Category-I (Divisional/State Level) of Establishment of Field Organisation" of Schedule-II, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"2A.	Assistant Grade-I	2	—	100%	——"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक 1128 बी-6-26/खू.ब./2015/14-2.—विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4326/कृषि/2001/14-2 दिनांक 17-10-2001 एवं 2310/बी-6/26/2004/14-2 दिनांक 08-06-2007 द्वारा जारी "डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार" के नियम 09 एवं 10 (निर्धारित आवेदन प्रपत्र) निम्नानुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रतिस्थापित करती है.

नियम - 9 चयन एवं मूल्यांकन का मापदंड : कृषक का चयन एवं मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जावेगा :—

1. फसल विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर.

2. उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु प्रयास.

3. विगत तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर.

4. कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किया गया उल्लेखनीय/नवोन्वेषी कार्य.

नियम-10 नियम 10 के अंतर्गत संशोधित आवेदन प्रपत्र संलग्न परिशिष्ट-01.

उक्त नियम वर्ष 2015 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-1

आवेदन फार्म
(नियम 10 के अंतर्गत)

"डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार"
छत्तीसगढ़ शासन

1. कृषक का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. जाति : ....
5. शैक्षणिक योग्यता : ....
6. निवास स्थान का पूर्ण पता : ....
   ग्राम — .... वि.ख. ....
   तहसील— .... जिला ....
7. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
   ....
8. मोबाईल एवं दूरभाष क्रमांक : ....
9. परिवार के वयस्क सदस्यों की जानकारी :—

क्र.	नाम	आवेदक से रिश्ता	उम्र	शिक्षा	व्यवसाय	वार्षिक आय

10. सेवा सहकारी समिति की सदस्यता संबंधी विवरण—

    सेवा सहकारी समिति का नाम — .... सदस्यता वर्ष — ....

11. किसान क्रेडिट कार्ड क्रमांक — .... स्वीकृत ऋण राशि— ....

12. कृषि भूमि एवं विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र—

ग्राम का नाम	कृषि भूमि का रकबा										
	श्रोतवार सिंचित क्षेत्र					असिंचित क्षेत्र	योग	मौसमवार सिंचित			
	नहर	नलकूप	कुंआ/पंप	अन्य	कुल सिंचित क्षेत्र			खरीफ	रबी	ग्रीष्म	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. कृषक द्वारा विगत 3 वर्षों में ली गई फसल की जानकारी—

13.1 सिंचित क्षेत्र—

क्र.	फसल का नाम	किस्म	बीज की श्रेणी	मौसम खरीफ/ रबी/ जायद	क्षेत्रफल हेक्टेयर में			कुल उत्पादन (क्विंटल)			औसत उत्पादकता (क्विं. प्रति हे.)
					वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13.2 असिंचित क्षेत्र—

क्र.	फसल का नाम	किस्म	बीज की श्रेणी	मौसम खरीफ/ रबी/ जायद	क्षेत्रफल हेक्टेयर में			कुल उत्पादन (क्विंटल)			औसत उत्पादकता (क्विं. प्रति हे.)
					वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13.3 पड़त भूमि (हे.) खरीफ .... रबी .... पुरानी पड़ती ....

14. फसल सघनता (प्रतिशत) — (खरीफ +रबी+जायद कुल फसलीय क्षेत्र X 100) / कुल कृषि भूमि

वर्ष ...., ...% वर्ष ...., ...% वर्ष ...., ...%

15. विगत तीन वर्षों में मेडों का उपयोग—

क्र.	फसल का नाम	मेड़ का अनुमानित क्षेत्र	उत्पादन (क्विं.)		
			वर्ष	वर्ष	वर्ष
1	2	3	4	5	6

16. विगत तीन वर्षों के भीतर मिट्टी परीक्षण उपरांत अनुशंसा अनुसार उर्वरक उपयोग —

क्र.	मिट्टी परीक्षण का वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अनुशंसित खाद/ उर्वरक मात्रा					उपयोग की गई मात्रा				
			नत्रजन कि.ग्रा.	स्फुर कि.ग्रा.	पोटाश कि.ग्रा.	चूना/ जिप्सम क्विं.	जैविक खाद क्विं.	नत्रजन कि.ग्रा.	स्फुर कि.ग्रा.	पोटाश कि.ग्रा.	चूना/ जिप्सम कि.ग्रा.	जैविक खाद क्विं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

17. कृषि के साथ अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादन/पशु/मुर्गी/मछली/रेशम कीट/मधुमक्खी पालन/मशरूम उत्पादन/कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/ कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन इकाई के संबंध में जानकारी—

क्र.	व्यवसाय का नाम	संक्षिप्त विवरण	प्रारंभ वर्ष	कुल वार्षिक लागत (रु.)	कुल प्राप्त आय (रु.)	शुद्ध वार्षिक लाभ (6-5)
1	2	3	4	5	6	7

18. कृषि तकनीकी क्षमता विकास कार्यक्रमों में कृषक की भागीदारी (राज्य स्तरीय/राज्य के बाहर प्रशिक्षण में भागीदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)—

क्र.	कार्यक्रम का नाम (गोष्ठी/प्रशिक्षण/प्रदर्शन/भ्रमण/मेला)	कार्यक्रम स्थल	दिनांक	अंगीकृत तकनीकी एवं प्राप्त लाभ का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5

19. कृषकों के खेत में फार्म स्कूल का आयोजन—

क्र.	योजना का नाम	फसल का नाम एवं मौसम	प्रदर्शन हेतु चयनित तकनीकी	आयोजन वर्ष	प्रशिक्षणार्थी कृषक संख्या	फसल मौसम में प्रशिक्षण/ भ्रमण संख्या
1	2	3	4	5	6	7

20. कृषि क्षेत्र में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से प्राप्त उल्लेखनीय पुरस्कार/सम्मान (प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)—

क्र.	पुरस्कार/सम्मान का नाम	पुरस्कार हेतु चयनित विषय	प्रदायक संस्था का नाम/पता	पुरस्कार का स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/जिला/वि.ख.)	वर्ष
1	2	3	4	5	6

21. उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने हेतु किये गये प्रयास :—

क्र.	कृषि तकनीकी का संक्षिप्त विवरण	प्रचार-प्रसार का माध्यम	लाभान्वित कृषक संख्या	अन्य कृषक द्वारा अपनाई गई तकनीकी
1	2	3	4	5

22. कृषक द्वारा कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में किया गया उल्लेखनीय/नवोन्मेषी कार्य :—

22.1 फसल/उद्यम का नाम — ....
....

22.2 सफलता की कहानी (अधिकतम दो पेज में एवं छायाचित्र/वीडियो सी.डी. संलग्न करें) निम्नलिखित बिन्दुवार —

क्र.	विवरण	पूर्व स्थिति	अपनाने के बाद स्थिति	अन्तर
1	2	3	4	5
1.	वर्ष			
2.	अपनाई गई तकनीकी का विवरण			

1	2	3	4	5
3.	कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास			
4.	वार्षिक उत्पादन/उत्पादकता/आय में वृद्धि 4.1 कुल उत्पादन 4.2 उत्पादकता प्रति इकाई 4.3 कुल आय 4.4 कुल उत्पादन लागत 4.5 शुद्ध लाभ (4.3-4.4) 4.6 प्रति व्यक्ति शुद्ध लाभ (4.5 ÷ परिवार सदस्य संख्या)			
5.	परिवार का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास.			

टीप :— आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग किया जा सकता है.

स्थान :—

दिनांक :— आवेदक कृषक के हस्ताक्षर

नाम — ....

जिला — ....

शपथ पत्र

(रु. 10/- के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं कृषक .... आत्मज श्री .... जाति .... ग्राम .... विकासखण्ड .... जिला .... एतद्द्वारा शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि—

1. "डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष ...." हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से बिन्दु क्रमांक 22 तक की समस्त प्रविष्ठियां सही-सही भरी गई है. मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई है तथा कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है.

2. मैं छ.ग. का मूल निवासी हूं. विगत 10 वर्षो से कृषि का कार्य छ.ग. राज्य में कर रहा हूं.

3. मेरी वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से है.

4. मेरे ऊपर तकाबी/सिंचाई शुल्क/सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण नहीं है.

5. मैं कृषि की नवीन तकनीकी अपनाता हूं एवं भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता/करती हूं.

6. मैं समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधीकरण अपनाता/अपनाती हूं. मेरी फसल सघनता अच्छी है.

7. मैं भूमि जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया/की हूं.

8. मैं कृषि क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य किया/की हूं.

9. मेरे विरुद्ध ऊर्जा चोरी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है.

10. मेरे प्रक्षेत्र में कोई बंधुवा मजदूर कार्यरत नहीं है.

11. मेरे ऊपर अतिक्रमण का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है.

12. मेरे विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है.

13. मुझे पूर्व में किसी प्रकरण में कोई सजा नहीं हुई है.

उपरोक्त में से कोई भी जानकारी यदि असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

स्थान :

दिनांक :

दो गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर
1. ....
2. ....

आवेदक कृषक का हस्ताक्षर
नाम —
पूर्ण पता —

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2015

क्रमांक एफ 1-15/2015/32.—यत: भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 04-02-2015 द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) का गठन किया गया;

2. और यत: भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में निहित प्रावधान के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-32/2014/32 दिनांक 19-03-2015 द्वारा समिति के दायित्व के निर्वहन के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को सचिवालय के रूप में अधिसूचित करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक के लिये फीस और यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भुगतान राज्य शासन के नियमों के अनुसार देय होने की व्यवस्था की गई है ;

3. और यत: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की बैठकों के आयोजन आदि कार्यवाही के लिये कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन एवं भत्तों तथा अध्यक्ष तथा सदस्यों के बैठकों की फीस आदि के व्यय की व्यवस्था हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों की छानबीन हेतु परीक्षण शुल्क की दरें निर्धारित की गई है ;

4. राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 19-03-2015 का पैरा-3 निरस्त करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी), छत्तीसगढ़ की बैठकों के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु मानदेय तथा लंच व्यवस्था हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित करता है :—

मानदेय	अध्यक्ष — रुपये 7,500.00 प्रतिदिन सदस्य — रुपये 6,000.00 प्रतिदिन
नास्ता, चाय, लंच व्यवस्था हेतु व्यय	रुपये 500.00 प्रति सदस्य प्रतिदिन

5. अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में भाग लेने तथा परियोजना स्थल पर निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान होगी. नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में निवासरत अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने हेतु परिवहन भत्ता रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार केवल) देय होगा.

6. उपरोक्त पर होने वाला व्यय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी), छत्तीसगढ़ को आवेदन-पत्रों की छानबीन हेतु प्राप्त परीक्षण शुल्क की राशि से किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 15 जून 2015

क्रमांक 3767/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	केनापारा	0.459	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम संभाग, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)	गेज सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बहलीडीह प.ह.नं. 29	1.796	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तौसीर लेन्ध्रा मार्ग के कि.मी. 2/6 किंकारी नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे जामपाली प.ह.नं. 29	0.267	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कुरकुट नदी पर छोटे जामपाली बकचवा मार्ग में सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुकरीचोली प.ह.नं. 29	0.838	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग खरसिया.	निर्माणाधीन बहेरामुड़ा एनीकट योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 1 जून 2015

क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बलेण्डा प.ह.नं. 43	3.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	घुराऊ जलाशय योजना के डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 2 मई 2015

क्रमांक 607/ELU/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत बिलाईगढ़/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 02-05-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

बिलाईगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लुकापारा, गोविंदबन एवं छपोरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम छपोरा एवं बांसउरकुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बांसउरकुली, टाड़ापारा एवं रमतला ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रमतला, खजुरी एवं लुकापारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत बिलाईगढ़.

No./607/ELU/T & CP/2015.— Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Bilaigarh Planning Area has been prepared under sub-section (i) of Section 15 (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from 02-05-2015 during office hours in the office of Nagar Panchayat Bilaigarh/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Bilaigarh & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balodabazar the limit of the Bilaigarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Bilaigarh Planning Area

NORTH : Village Lukapara, Govindban and upto Northern limit of Chhapora.

WEST : Village Chhapora and upto Western limit of Bansurkuli.

SOUTH : Village Bansurkuli, Tadapara and upto Southern limit of Ramtala.

EAST : Village Ramtala, Khajuri and upto Eastern limit of Lukapara.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning Balodabazar C.G. or Inspection on site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning Balodabazar C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat, Bilaigarh.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा, दिनांक 16 जून 2014

क्रमांक 1148/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्र. प्लान पिपरिया/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पिपरिया निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कबीरधाम एवं कार्यालय नगर पंचायत पिपरिया में दिनांक 27-06-2015 से कार्यालयीन अवधि के 30 दिनों तक कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

पिपरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोठार, चरडोंगरी, झिरना एवं ग्राम-खाम्ही की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खाम्ही, गांगपुर एवं ग्राम-मानिकचौरी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मानिकचौरी, धरमपुरा एवं ग्राम-पिपरिया की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पिपरिया, परसवारा एवं ग्राम-कोठार की पश्चमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1148/T&CP Kabirdham/s.p.-Pipariya/2015.— Notice is hereby given that the existing land use of Pipariya Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 27-06-2015 to till 30 days of working, during office hours in the offices of Collector District Kabirdham C.G., office of the Assistant Director Town and Country Planning Kabirdham C.G., and office of the Nagar Panchayat Pipariya C.G.

The limit of Pipariya Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limit of Pipariya Planning Area

NORTH : Village-Kothar, Village-Chardongari, Village-Jhirna & upto Northern limit of Village-Khamhi.

EAST : Village-Khamhi, Village-Gaangpur & upto Eastern limit of Village-Manikchori.

SOUTH : Village-Manikchori, Village-Dharampura & upto Southern limit of Village-Pipariya.

WEST : Village-Pipariya, Village-Paraswara & upto Western limit of Village-Kothar.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Naya Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Chhattisgarh.

प्रीति देवांगन,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/2027.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/2656-2657 रायपुर, दिनांक 01-08-2012 द्वारा श्री आई. सी. श्रीवास्तव, सहायक संचालक कृषि आरंग को कृषि उपज मण्डी समिति आरंग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अवर सचिव छ.ग. शासन कृषि विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ-3-22/2014/14-1/रायपुर दिनांक 11-07-2014 द्वारा श्री आई.सी. श्रीवास्तव सहायक, भूमि संरक्षण अधिकारी का स्थानांतरण सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी बेमेतरा जिला बेमेतरा किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आई. सी. श्रीवास्तव, सहायक संचालक कृषि आरंग जिला-रायपुर के स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री रामयश तिवारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आरंग जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अमृत कुमार खलखो,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th June 2015

No. 369/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt.III).—(A) Smt. Rajni Dube, Member of Higher Judicial Service and Presently posted as District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is appointed as Registrar (Vigilance) in the Establishment of the High Court from the date she assumes charge of her office.

(B) Shri Ravi Shankar Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District & Sessions Judge, Jashpur is appointed as Registrar (Inspection & Enquiry) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. He is also assigned the charge of Selection and Appointment Cell in the establishment of the High Court in addition to his own duties.

Bilaspur, the 19th June 2015

No. 373/Confdl./2015/II-2-3/2002 (Pt.III).—The following District Judges (Entry Level) as specified in Column No. (2) of the table below are hereby appointed to the category of District Judge (Selection Grade) of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850 (Revised Rs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290) from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with present designation	Date of Appointment to the category of District Judge (Selection Grade)
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Veer Singh Salam, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Ambikapur.	17-06-2015
2.	Shri Jagdamba Rai, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Bilaspur.	17-06-2015
3.	Shri Arvind Kumar Verma, Additional Director Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur.	17-06-2015
4.	Shri Onkar Prasad Gupta, Additional District & Sessions Judge, Ramanujganj.	17-06-2015
5.	Shri Santosh Sharma, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Ambikapur.	17-06-2015
6.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Durg.	17-06-2015
7.	Smt. Sushma Sawant, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	17-06-2015
8.	Shri Sudhir Kumar, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Korba	17-06-2015
9.	Shri Ramashankar, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	17-06-2015

(1)	(2)	(3)
10.	Shri Rajnish Shrivastava, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.	17-06-2015
11.	Shri Balram Prasad Verma, I Additional District & Sessions Judge, Sakti	17-06-2015
12.	Shri Vijay Kumar Ekka, Presiding Officer, Wakf Tribunal, Raipur	17-06-2015
13.	Shri Anand Kumar Singhal, Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	17-06-2015
14.	Shri Hemant Saraf, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act, Rajnandgaon	17-06-2015
15.	Shri Rakesh Bihari Ghore, Central Project Coordinator, E-Courts Mission Mode Project, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	17-06-2015
16.	Shri Ashok Kumar Lunia, I Additional District & Sessions Judge, Surajpur	17-06-2015
17.	Smt. Kanta Martin, Registrar Chhattisgarh Arbitration Tribunal, Raipur	17-06-2015
18.	Shri Bhishma Prasad Pandey, Additional District & Sessions Judge, Gariaband.	17-06-2015
19.	Shri Rajendra Pradhan, I Additional District & Sessions Judge, Bilaspur	17-06-2015
20.	Shri Gokaran Singh Kunjam, II Additional District & Sessions Judge, Manendragarh.	17-06-2015
21.	Smt. Suman Ekka, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court) Raipur.	17-06-2015
22.	Shri K. Vinod Kujur, Judge, Family Court, Kawardha	17-06-2015

Bilaspur, the 22th June 2015

No. 380/Confdl./2015/II-1-2/2008.—Hon'ble Shri Justice T. P. Sharma, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 18-06-2015 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

By order of Hon,ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 3rd June 2015

No. 686/L.G./2015/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 06 days from 27-04-2015 to 02-05-2015 along with permission to leave head-quarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th June 2015

No. 688/L.G./2015/II-2-36/2004.—Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 20-04-2015 to 25-04-2015 along with permission to leave headquarters from the evening of 19-04-2015 till before the office hours of 27-04-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 283 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th June 2015

No. 689/L.G./2015/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 12 days from 16-03-2015 to 27-03-2015 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 13-03-2015 till before the office hours of 30-03-2015 and earned leave for 03 days from 15-05-2015 to 17-05-2015 along with summer vacation in first part from 18-05-2015 to 23-05-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 142 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 19th June 2015

No. 692/L.G./2015/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, the then Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 08-05-2015 to 13-05-2015 along with permission to leave headquarters from 08-05-2015 till before the Court hours of 14-05-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 159 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).